

समस्त जिला कलेक्टर एवं 10/3 को E-mail से  
भेजने हेतु।

राजस्थान सरकार  
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग  
जी-3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर

क्रमांक: एफ 9(5) (9)/एन.एस.ए.पी/प्रशा.व्यय/सा.न्या.अ.वि/2015-16/

जयपुर, दिनांक

### आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक एफ.9(5)(9)/एन.एस.ए.पी/प्रशा.व्यय/सा.न्या.अ.वि/2015-16/18204 दिनांक 25.02.2016 से ग्रामीण विकास विभाग भारत सरकार के आदेश क्रमांक न. J-11015/1/2012-NSAP दिनांक 8.11.2012 द्वारा अनुमत किये 3 प्रतिशत प्रशासनिक व्यय अन्तर्गत कोष कार्यालयों एवं उपकोष कार्यालयों व मुख्यालय स्तर पर दो कम्प्यूटर मैन विद सहित कुल 256 मशीन (संविदा पर) नियमानुसार एजेंन्सी के माध्यम से दिनांक 01.03.2016 से 28.02.2017 तक के लिए रखने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

उक्त आदेशों के पैरा (2) में परिपत्र क्रमांक एफ.9 (01) एफ.डी.(01)बजट/2012 दिनांक 01.05.2014 की अधिकतम सीमा 8000/- के स्थान पर एफ. 9(1) एफ.डी. (01) बजट/2012 दिनांक 01.07.2015 के अनुक्रम में अधिकतम सीमा रूपये 8500/- पढा जावे।

Sds  
अतिरिक्त निदेशक  
(पेंशन एवं पन्नाधाय)

क्रमांक: एफ.9(5)(9)/एन.एस.ए.पी/प्रशा.व्यय/सा.न्या.अ.वि/2015-16/19459-532- जयपुर, दिनांक 15/03/16  
प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन नई दिल्ली के पत्र क्रमांक J-11015/1/2012-NSAP दिनांक 8.11.2012 के क्रम में।
2. संयुक्त शासन सचिव वित्त(व्यय-2) विभाग शासन सचिवालय जयपुर।
3. जिला कलेक्टर (समस्त)
4. निदेशक कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर।
5. कोषाधिकारी समस्त
6. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर को आवंटित बजट ऑनलाईन करने एवं विभागीय बेवसाईट पर प्रकाशित करने बाबत।
7. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) मुख्यावास।
8. लेखाकार (अंक मिलान/भुगतान)
9. गार्ड पत्रावली।

Sds  
अतिरिक्त निदेशक  
(पेंशन एवं पन्नाधाय)